

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3447(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 2366(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "तमिलनाडु की स्पास्टिक्स सोसायटी, तारामाणी रोड, चेन्नई-600113, तमिलनाडु" द्वारा "तमिलनाडु में स्पास्टिन के शहरी केंद्रों में स्पास्टिक बच्चों के लिए उपस्कर साज-सज्जा और विशेष शिक्षा केंद्र का संचालन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 2.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "तमिलनाडु की स्पास्टिक्स सोसायटी, तारामाणी रोड, चेन्नई-600113, तमिलनाडु" द्वारा चलाई जा रही "तमिलनाडु में स्पास्टिन के शहरी केंद्रों में स्पास्टिक बच्चों के लिए उपस्कर साजसज्जा और विशेष शिक्षा केंद्र का संचालन" की परियोजना अथवा स्कीम को 2.47 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 273/2015/फा. सं. वी-27015/4/2015 एस ओ (रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)